

Staff Selection Commission
Central Region

Important Notice

Attention: candidates of CGLE-2018 examination seeking exemption from appearing & qualifying in DEST

OH candidates who are qualified in Tier-III of CGL Exam, 2018 and who are seeking exemption from appearing in Skill Test (DEST) for the post of Tax Assistant in CBDT, are required to send Undertaking as per Annexure-I, along with following documents on email ID: ssccr.cgl18@gmail.com, **latest by 15-12-2020**.

- (a) Medical Certificate for exemption from appearing in Skill Test (DEST) from the competent Medical Authority i.e., the Civil Surgeon of a Government Health Care Institution as per Annexure-II.
- (b) PwD Certificate from notified Medical Authority as per Annexure-VIII (Form-II or Form-IV as applicable) of the Notice of Examination.

OH candidates opting for post of Tax Assistant in CBEC are not exempted from Skill Test (DEST). Other PwD candidates are also not eligible for exemption from the Skill Test (DEST). No exemption from CPT is allowed for any category of PwD candidates.

Alternatively, the candidates may also report at the venue of Skill Test (DEST) on the date of their Skill Test (DEST) along with aforementioned documents (original & photocopy) for seeking exemption from appearing in Skill Test (DEST) only for the post of Tax Assistant in CBDT.

The candidates are required to produce all these documents in original before the Commission at the time of document verification. If any candidate fails to produce the same during document verification, Commission shall cancel the candidature of such candidate for this exam and such candidates will have no claim against the Commission's decision.

Deputy Director (Exam)

Dated : 10/12/2020

UNDERTAKING

I _____, Roll No. _____ am an OH candidate of CGL 2018 Examination and would like to avail exemption from the requirement of appearing in the Skill Test (DEST) for the post of Tax Assistant in CBDT, in accordance with para 9.6.1 of the Notice of Examination, as I am permanently unfit to take the typing test because of physical disability. I am herewith attaching a copy of following documents:

- (a) Medical Certificate for exemption from appearing in Skill Test (DEST) from the competent Medical Authority i.e., the Civil Surgeon of a Government Health Care Institution as per Annexure-II.
- (b) PwD Certificate from notified Medical Authority as per Annexure-VIII (Form-II or Form-IV as applicable) of the Notice of Examination.

I also undertake that I will produce all these documents in original during document verification before the Commission. If I fail to produce the same, the Commission may cancel my candidature for this examination and I will have no claim against the Commission's decision.

SIGNATURE.....

NAME OF CANDIDATE.....

ROLL NO.....

DATE.....

FORM OF MEDICAL CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY THE OH CANDIDATES WHO SEEK EXEMPTION FROM APPEARING IN THE SKILL TEST (DEST) FOR THE POST OF TAX ASSISTANT IN CBDT FOR CGLE, 2018.

This is to certify that Sh/Smt/Kum _____ son/daughter/wife of Shri_____ is suffering from _____.

Clinical diagnosis as a result of which he/ she has the following disabilities. (Brief description of his/ her disabilities) -----
-----This is a permanent disability and the extent of his/ her disability works out to ___% of disability.

This disability is likely to interfere with Typewriting (specify) -----
-----.

(Signature of Civil Surgeon)

Name:

(Official Stamp)

Place:

Date:

Photograph of candidate clearly showing face with affected portion of the body

Signature of candidate:

Name:

Roll Number:

कर्मचारी चयन आयोग
मध्य क्षेत्र
महत्वपूर्ण सूचना

संयुक्त स्नातक परीक्षा (CGL)-2018 के वह उम्मीदवार जो कौशल परीक्षण में उपस्थित होने और DEST से छूट प्राप्त करना चाहते हैं के सूचनार्थ ।

संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (CGL)-2018 के टियर-3 में सफल आर्थोपेडिक रूप से विकलांग (OH) उम्मीदवार, जो CBDT में कर सहायक पद के लिए कौशल परीक्षण (DEST) में उपस्थित होने से छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो अनुबंध-I के अनुसार वचन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन प्रतियाँ आयोग की इस **EMAIL ID: sscrr.cg118@gmail.com** पर दिनांक 15.12.2020 तक प्रेषित कर दें:-

1. सक्षम मेडिकल अथॉरिटी, अर्थात् सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के सिविल सर्जन से निर्धारित प्रारूप (अनुबंध-II के अनुसार) में कौशल परीक्षण (DEST) में छूट के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट।
2. परीक्षा विज्ञप्ति के अनुबंध-VIII (प्रारूप-2 या प्रारूप-4 जैसा लागू हो) के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अधिसूचित मेडिकल अथॉरिटी द्वारा विकलांगता का प्रमाण -पत्र।

आर्थोपेडिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को CBEC में कर सहायक पद के लिए कौशल परीक्षण (DEST) के लिए छूट प्राप्त नहीं है। अन्य शरीरिक विकलांगता वाले उम्मीदवारों को भी कौशल परीक्षण (DEST) के लिए छूट प्राप्त नहीं है। किसी भी प्रकार के शरीरिक विकलांगता वाले उम्मीदवार को CPT में किसी भी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं है।

वैकल्पिक रूप से, उम्मीदवार कौशल परीक्षण (DEST) से छूट प्राप्त करने के लिए उपरोक्त दस्तावेजों (मूल और फोटोकॉपी) के साथ अपनी कौशल परीक्षण (DEST) की तिथि के दिन कौशल परीक्षण (DEST) के स्थल पर भी केवल CBDT में कर सहायक पद के लिए कौशल परीक्षण (DEST) में उपस्थित होने से छूट प्राप्त करने हेतु रिपोर्ट कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय इन सभी दस्तावेजों को आयोग के समक्ष मूलरूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि कोई उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के दौरान उपरोक्त दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो आयोग इस परीक्षा के लिए ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर देगा और ऐसे उम्मीदवारों का आयोग के फैसले के सम्बन्ध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

उप निदेशक (परीक्षा)
दिनांक:10/12/2020

वचन-पत्र

मैंरोल नंबर संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (CGL)-2018 का एक उम्मीदवार हूँ और परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 9.6.1 के अनुसार CBDT में कर सहायक पद के लिए कौशल परीक्षण (DEST) में उपस्थित होने एवं कौशल परीक्षण (DEST) से छूट का लाभ लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शारीरिक विकलांगता के कारण टंकण परीक्षा देने में स्थायी रूप से अक्षम हूँ। मैं निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति संलग्न कर रहा हूँ:-

1. सक्षम मेडिकल अथॉरिटी, अर्थात् सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के सिविल सर्जन से निर्धारित प्रारूप (अनुबंध-II के अनुसार) में कौशल परीक्षण (DEST) में छूट के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट।
2. परीक्षा विज्ञप्ति के अनुबंध-VIII (प्रारूप-2 या प्रारूप-4 जैसा लागू हो) के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अधिसूचित मेडिकल अथॉरिटी द्वारा विकलांगता का प्रमाण -पत्र।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं आयोग के समक्ष दस्तावेज सत्यापन के दौरान इन सभी दस्तावेजों को मूलरूप में प्रस्तुत करूंगा। यदि मैं इनको प्रस्तुत करने में विफल रहता हूँ, तो आयोग इस परीक्षा के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द कर सकता है और आयोग के फैसले के खिलाफ मेरा कोई दावा नहीं होगा।

हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम.....

अनुक्रमांक

दिनांक.....